[Social Issues and Environmental Problems,Vol.3 (Iss.9:SE): Sep, 2015] ISSN- 2350-0530(O) ISSN- 2394-3629(P)
Impact Factor: 2.035 (I2OR)
DOI: https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v3.i9SE.2015.3235

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH
A knowledge Repository

पर्यावरण एवं भारत में विधिक प्रावधान

ममता गौड़
सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान), भाासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृश्ट महाविद्यालय, उज्जैन

पर्यावरण शब्द परि+आवरण शब्दों से मिलकर बना है, इसका शाब्दिक अर्थ हमारे चारों ओर के उस वातावरण से है, जिसमें जीवधारी रहते हैं। इस प्रकार पर्यावरण भौतिक तथा जैविक अवयव या कारक का वह सम्मिश्रण है, जो चंहु ओर से जीवधारियों को प्रभावित करता है। इस प्रकार पर्यावरण जीवों को प्रभावित करने वाले समस्त भौतिक एवं जैविक कारकों का योग होता है। यह कहा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी का पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जिसका जीवन पर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। ये शक्तियाँ परस्पर सम्बद्ध हैं, परिवर्तनशील हैं तथा सम्पूर्ण एवं संयुक्त रूप में जीवन पर प्रभाव डालती हैं। इनमें भौतिक कारक के रूप में जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश, ताप आदि एवं जैविक कारक के रूप में शैवाल, कवक, सूक्ष्मजीवी, परजीवी, सहजीवी, विषाणु, जीवाणु पादप एवं जन्तु आदि कहे जा सकते हैं।

पृथ्वी पर मानव जीवन लगभग 50 हजार वर्ष का है लेकिन पर्यावरण पर विपरीत एवं चिंतनीय प्रभाव डालने वाला मानव विकास का कालखण्ड विगत् 150–200 वर्षों का ही कहा जा सकता है। विज्ञान और औद्योगिकीकरण ने जहाँ मानव विकास की गति को अत्यन्त तीव्रता से गतिशील किया है, वहीं इसी तीव्रता से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाला है। भौतिक विकास की अंधी दौड़ के करण पर्यावरण प्रदूषण देश ही नहीं दुनिया के लिए आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। आज सरकारों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण एवं विकास के मध्य संतुलन स्थापित करने की है। भौतिकता की दौड़ में प्राकृतिक संसाध्नों के अमर्यादित दोहन के कारण, कटते जंगल और बढ़ते महानगर, जल, वायु, भूमि, ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते खतरे ने पर्यावरण के गम्भीर ख़तरों को जन्म दिया है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है।

भारत में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु विधिक प्रावधान लगभग 150 वर्षों से किए जा रहे है।[1] भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी पर्यावरण का महत्व रेखांकित करते हुए संविधान के नीतिनिर्देशक तत्वों में इसे सम्मिलित करते हुए राज्य के यह दायित्व सौंपा है कि राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा।[2] संविधान में उल्लेखित भारतीय नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों में भी नागरिकों का यह मूल कर्तव्य माना गया है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणीमात्र के प्रतिदयाभाव रखें।[3]

भारत में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए अथवा पूर्व से प्रभावशील कानूनों की संख्या 30 से अधिक है। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा बनाए गए कानून भी अस्तित्व में हैं। कुछ प्रमुख अधिनियम इस प्रकार है –

1. जल (प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 – इस अधिनियम का उद्देश्य जल की गुणवत्ता का संरक्षण तथा जलप्रदूषण को नियंत्रित करन है ताकि, जल प्रदूषकों के मानव स्वास्थ्य तथा जैव समुदाय पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को नियंत्रित किया जा सके।
2. वायु (प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण) अधिनियम – 1981 इस अधिनियम का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा वायु की गुणवत्ता बनाये रखना है ताकि मानव स्वास्थ्य एवं जैव समुदाय पर पड़ने वाले वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सके। 1987 में इस अधिनियम में संशोधन कर ध्वनि द्वारा होने वाले प्रदूषण (ध्वनि प्रदूषण) को भी वायु प्रदूषण के एक कारक के रूप में पहचाना गया।

3. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986– इस अधिनियम में व्यापकता के साथ वायु, जल एवं मृदा गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने हेतु नियम बनाएं जाने का प्रावधान है।

नवम्बर 1986 इसके अधीन पर्यावरण संरक्षण नियम बनाए गए हैं। 25 अगस्त 1914 तक इन नियमों में 18 बार संशोधन किए जा चुके हैं।[4]

इन अधिनियमों के अतिरिक्त –भारतीय वन अधिनियम 1865, 1878 एवं 1927 भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, संशोधन अधिनियम 2002 पादप विविधता संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम 2001 जैव विविधता अधिनियम 2002 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन्य जातियों के (वन्य अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 तथा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम (NGT Act) 2010 आदि है।

पर्यावरण सुधार हेतु 1987 में एक राष्ट्रीय जल नीति भी बनाई गई है जो 02 एवं 2012 में पुनरीक्षित की जा चुकी है। राष्ट्रीय जल नीति भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा बनाई गई है जिसमें जल संसाधनें के अधिकतम उपयोग एवं उनके विकास की योजनाएं बनायी जाती है।

इन कानूनी प्रावधानों के बावजूद लगातार बिगड़ता पर्यावरण एक ज्वलंत समस्या बना हुआ है। नदियां भारत में पवित्र और पूजनीय मानी जाती हैं लेकिन सर्वाधिक पूजनीय गंगा एवं यमुना सर्वाधिक प्रदूषित हैं। इनके शुद्धिकरण की योजनाएं करोड़ों रूपयों के अपव्यय के बाद भी राजनीतिक तमाशा ही लगती है, क्योंकि प्रदूषण घटने के बजाएं बढ़ा है। पेयजल के मामले में देश की राजधानी दिल्ली तक समस्याग्रस्त है। घटते वन, जो पृथ्वी पर 33 प्रतिशत थे अब देश में केवल 17.06 प्रतिशत ही है। वाहनों की बढ़ती संख्या यदि ध्वनि और वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक हैं तो उद्योगों से निसृत होने वाले अपशिष्ट और रसायन जल संसाधनों के प्रदूषण के प्रमुख कारक है। 1986 में बना पर्यावरण संरक्षण कानून, बार–बार होने वाले संशोधनों के कारण निष्प्रभ होता जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार संशोधन पर्यावरण संरक्षण से अधिक पर्यावरण प्रदूषण में सहायक बन रहे हैं।

विधान, कानून या अधिनियमों की अधिकता से पर्यावरण संरक्षण सम्भव नहीं है, आवश्यकता है इनको कठोरता से लागू करने तथा ऐसे प्रयासों के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की। यह सिक्के का एक पहलू है। जब तक समाज में पर्यावरण के संरक्षण की चेतना जागृत नहीं होती, ये सब उपाय मृगमरीचिका ही सिद्ध होंगे।

संदर्भ

1. *भारतीय दण्ड संहिता 1861 के अध्याय 14 धार 268–294 ए में जलप्रदूशण को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।*
2. *भारत का संविधान अनुच्छेद 48*
3. *भारत का संविधान अनुच्छेद 51 (क)(छ)*
4. *भारत का राजपत्र – 444 दिनांकित 25 अगस्त 2014*